मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.	पंजीकरण दिनॉक:	निर्णय दिनॉक:	अवधि:
एम.ए.सी.पी.संख्या–354/2018	08/30/18 माह/दिनॉक/वर्ष	02/24/20 माह/दिनॉक/वर्ष	1 वर्ष, 5 माह, 25 दिन

1. रामरतन उम्र करीब 39 वर्ष पुत्र बलवीर सिंह,
2. श्रीमती पार्वती उम्र करीब 51 वर्ष पत्नी श्री राम रतन

निवासी ग्राम व पोस्ट डिकोली थाना एरच तहसील गरौठा जिला झाँसी।

(अधिवक्ता श्री इन्द्रपाल सिंह)

––––––––––याचीगण

प्रति

1. अशोक कुमार पुत्र मुकुंदी निवासी ग्राम सिलारी थाना व तहसील मोठ जिला झाँसी।

............स्वामी मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476

(अधिवक्ता श्री अरुण कुमार गुप्ता)

2. वीरेंद्र सिंह पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम डिकोली थाना एरच तहसील गरौठा जिला झाँसी।

........स्वामी मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670

3. मानवेंद्र सिंह पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम डिकोली थाना एरच तहसील गरौठा जिला झाँसी।

.........चालक मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670

(अधिवक्ता श्री रविदर्शन)

4. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नंदन पुरा पुलिया के पास इलाहाबाद बैंक के ऊपर सीपरी बाजार झाँसी, जरिए मंडलीय प्रबंधक।

........बीमा कंपनी मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670

(अधिवक्ता श्री ए. के. मिश्रा)

5. पार सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी ग्राम परिछा थाना पूछ जिला झाँसी।

..............चालक मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476

(अधिवक्ता श्री अरुण कुमार गुप्ता)

6. आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 414 सरवारकर मार्ग सिद्धिविनायक मंदिर के पास मुंबई जरिए शाखा प्रबंधक कचहरी चौराहा के पास।

...........बीमाकर्ता मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476

(द्वारा अधिवक्ता श्री सुनील शुक्ला)

––––––––––विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में सोनू पुत्र रामरतन की मृत्यु के कारण ₹25,00,000/– क्षतिपूर्ति मय 18% वार्षिक ब्याज व खर्चा मुकदमा हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची सं. 1 व 2 का पुत्र सोनू दिनॉक 12.07.2018 को मानवेंद्र सिंह के साथ मोटरसाइकिल नं. UP 93BD 0670 (**प्रथम वाहन**) पर पीछे बैठकर **मोठ से** आधार कार्ड बनवा कर घर वापस लौट रहा था। मानवेंद्र सिंह मोटरसाइकिल को धीमी गति से अपनी साइड से चलाता हुआ आ रहा था। जैसे ही मोटरसाइकिल साईं के कुआं पर पहुंची तभी **अमरौख की ओर से** मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 (**द्वितीय**

MACTJHANSI

वाहन) जिसका चालक उक्त मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और अपने साइड से जा रही साइकिल में बगल से जोरदार टक्कर मार दी जिससे साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई एवं मोटरसाइकिल पर बैठे सोनू व मानवेंद्र को गंभीर चोटें आईं। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने घटना देखा, इलाज के लिए मोठ अस्पताल ले गए, जहां पर सोनू की मृत्यु हो गई। घटना के समय सोनू की उम्र 16 वर्ष थी और वह शरीर से स्वस्थ एवं मेहनती था। वह शिक्षा अध्ययन कर रहा था, पढ़ने में होशियार था एवं खाली समय में घर के खेती के कार्यों में सहयोग करता था जिससे ₹6,000 प्रति माह की बचत हो जाती थी। वह पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करता व कम से कम ₹20,000 प्रति माह कमाता व 80 वर्ष तक जीवित रहता और याची का भरण पोषण करता व आर्थिक मदद करता। दुर्घटना की रिपोर्ट हरिश्चंद्र ने दिनांक 29.07.2018 को थाना पूंछ जिला झाँसी में मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक के खिलाफ दर्ज कराई।

3. विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि कथित दुघर्टना चालक मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 की लापरवाही से हुई है। उसकी मोटरसाइकिल का चालक पार सिंह वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारी वाहन चालक है जो वाहन को सावधानीपूर्वक चला रहा था। उसकी मोटरसाइकिल आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित थी। क्षतिपूर्ति बढ़ा चढ़ाकर मांगी गई है। उसका क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं बनता है।

4. विपक्षी सं. 2 व 3 की ओर से जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों को मुख्य रूप से स्वीकार करते हुये यह कथन किये गये हैं कि दुघर्टना चालक मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 की लापरवाही से हुई है। उसकी मोटरसाइकिल का चालक मानवेंद्र सिंह वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस धारी वाहन चालक है जो वाहन को सावधानीपूर्वक चला रहा था। उसकी मोटरसाइकिल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित थी। क्षतिपूर्ति बढ़ा चढ़ाकर मांगी गई है। उनके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं बनता है।

5. विपक्षी सं. 4 यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. की ओर से 26B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि कथित दुघर्टना के दिनॉक व समय पर विवादित वाहन के चालक के पास कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था इस कारण विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

6. विपक्षी सं. 5 की ओर से 28B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गये हैं कि दुघर्टना चालक मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 की लापरवाही से हुई है। उसके द्वारा चलायी जा रही मोटरसाइकिल आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित थी। क्षतिपूर्ति बढ़ा चढ़ाकर मांगी गई है। उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं बनता है।

7. विपक्षी सं. 6 आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गये हैं कि कथित दुघर्टना के दिनॉक व समय पर विवादित वाहन के चालक के पास कोई वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था तथा वह बीमा पॉलिसी की शर्तों के विरूद्ध अवैधानिक रूप से वाहन चला रहा था इस कारण विपक्षी बीमा कम्पनी का कोई

MACT JHANSI

उत्तरदायित्व क्षतिपूर्ति अदायगी का नहीं बनता है। बीमा कम्पनी का दायित्व तभी बनता है जब बीमा संविदा की सभी शर्तों का पालन किया गया हो।

8. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 06.07.2019 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैः–

1. क्या दिनॉक 12.07.2018 को समय करीब 2.00 बजे दिन याचीगण का पुत्र सोनू, मानवेन्द्र सिंह के साथ मोटरसाइकिल नं. UP 93BD 0670 पर पीछे बैठकर मोंठ से वापस लौट रहा था, जैसे ही मोटरसाइकिल साई के कुंआ के पास पहुंची तभी अमरौख की ओर से एक मोटरसाइकिल नं. UP 93BA 2476 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और बगल से जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई एवं सोनू व मानवेंद्र को गम्भीर चोटें आयीं तथा गम्भीर चोटों के कारण सोनू की मृत्यु हो गयी?

2. क्या कथित दुर्घटना की दिनांक को मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 एवं मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 अंशदाई/संयुक्त लापरवाही के कारण घटित हुई?

3. क्या कथित दुर्घटना की दिनांक को मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था ?

4. क्या कथित दुर्घटना के दिनांक व समय पर मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 विपक्षी सं. 6 आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से विधिवत् बीमित थी?

5. क्या याचीगण प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कितनी और किससे?

9. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैः–

1. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1 लगायत 11 सी1/2 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी वाहन UP 93BD 0670 व याचीगण के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. विपक्षी सं. 2 व 3 द्वारा फेहरिस्त 24 सी1 के माध्यम से 25 सी1 लगायत 25 सी1/5 रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र वाहन UP 93BD 0670, बीमा पॉलिसी वाहन UP 93BD 0670, ड्राईविंग लाइसेंस मानवेंद्र, आधार कार्ड वीरेंद्र सिंह व मानवेंद्र सिंह की छाया प्रतियाँ,

3. विपक्षी सं. 1 द्वारा फेहरिस्त 19 सी1 के माध्यम से 20 सी1 लगायत 20 सी1/4 रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र वाहन UP 93BA 2476, कथित बीमा पॉलिसी वाहन UP 93BA 2476 व ड्राईविंग लाइसेंस पारसिंह की छाया प्रतियाँ,

4. विपक्षी सं. 5 द्वारा फेहरिस्त 30 सी1 के माध्यम से 31 सी2 ड्राईविंग लाइसेंस पारसिंह की छाया प्रति,

5. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 33 सी1 के माध्यम से 34 सी2/1 लगायत 34 सी2/2 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, नक्शा नजरी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, दुर्घटनाग्रस्त वाहन UP 93BA 2476 व दुर्घटनाग्रस्त वाहन UP 93BD 0670 की तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों की सत्य प्रतिलिपियॉ शामिल हैं,

6. याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW1 के रूप में याची रामरतन एवं PW2 के रूप में जगजीत सिंह को परीक्षित कराया गया है,

7. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

MACT JHANSI

10. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2</u>

वाद बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में चक्षुदर्शी PW2, जिसे अधिसंभाव्यत: आरोप पत्र मे भी गवाह बनाया गया है, ने यह कथन किया है कि वह दिनॉक 12.07.2018 को समय करीब 2:00 बजे दिन मोठ से आधार कार्ड बनवा कर वापस घर जा रहा था। उसके आगे मानवेंद्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 से जा रहा था। उसके पीछे सोनू पुत्र रामरतन बैठा था। मानवेंद्र मोटरसाइकिल सावधानीपूर्वक चला रहा था। जैसे ही मोटरसाइकिल साईं कुआं के पास पहुंची तभी अमरोख की तरफ से एक मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 जिसका चालक मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और मानवेंद्र के मोटरसाइकिल में बगल में टक्कर मार दी। वह मौके पर पहुॅचा और घायलों को उठाया और लोगों की सहायता से मोठ सर्किल अस्पताल ले गया जहॉ सोनू की मृत्यु हो गई। दुर्घटना मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक की लापरवाही से हुई। प्रति परीक्षा में साक्षी ने कहा है कि टक्कर T के आकार पर हुई थी। इस साक्षी की प्रति परीक्षा से ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे इसके साक्ष्य पर संदेह किया जा सके। दुर्घटनास्थल का नक्शा नजरी देखने से स्पष्ट होता है इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 के चालक की भी कुछ लापरवाही रही है। नक्शा नजरी निम्न प्रकार है–

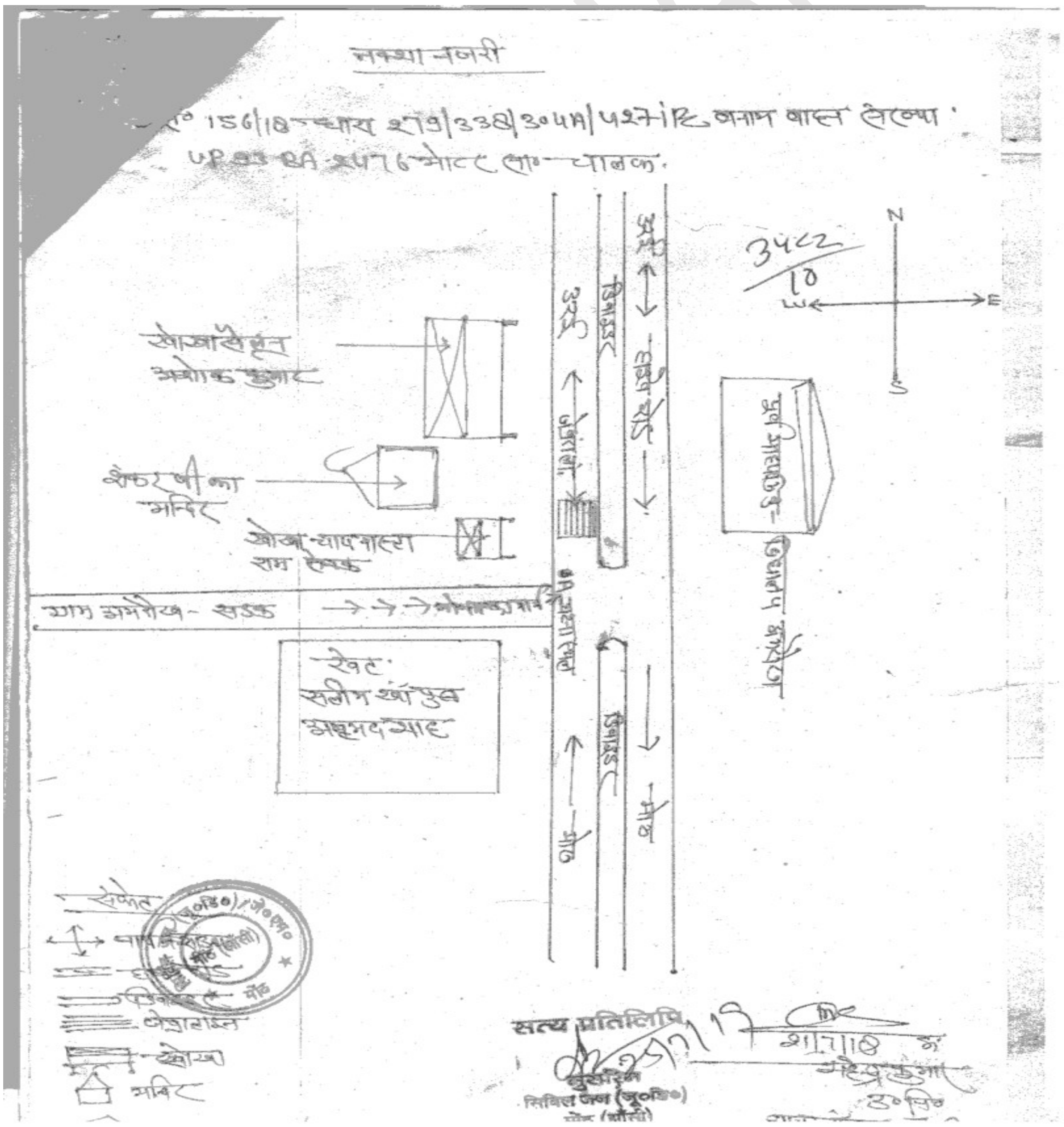

उक्त नक्शा नजरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 का चालक अपनी मोटरसाइकिल को सबरोड़ से अचानक हाईवे पर लाया है। हाईवे पर वाहन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से चलते हैं। मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक का कृत्य मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 के चालक के लिए सरप्राइज जैसा था। मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 के चालक के पास अपनी मोटरसाइकिल मे अचानक ब्रेक लगाकर रोके जाने का अवसर नही मिल पाया। हलॉकि मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 के चालक को भी इतने नियंत्रण में वाहन चलाना चाहिए था कि यदि कोई व्यक्ति सबरोड़ से अचानक हाईवे पर आ जाए तो उसे बचाया जा सके। रोड सेंस न होने के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहॉ चालक बगैर हेलमेट पहने सबवे से हाईवे पर अचानक आ जाते हैं या बगैर सिग्नल दिए हाईवे से सबरोड के लिए अचानक दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं और अन्य वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त तो करते ही हैं स्वयं भी चोट खाते हैं। इस प्रकरण मे भी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि मृतक ने यदि हेलमेट पहन रखा होता तो मृत्यु न होती। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए जो सदैव इस प्रकार उपेक्षा पूर्वक वाहन चलाते हैं। आरोप पत्र भी मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। चूँकि PW2 याची के ग्राम का निवासी है और याची के कहने पर गवाही देने आया है अत: उसका यह कथन कि UP 93BD 0670 के चालक की कोई उपेक्षा नही थी याची के पक्ष मे कवर अप हो सकती है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन UP 93BA 2476 की तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 34C2/20 के अनुसार वाहन का साइलेंसर मध्य में पचका है। हेड लाइट एवं मास्क में बाएं साइड स्क्रैच है। लेगगार्ड बाएं साइड में स्क्रैच वह दाहिने साइड बेंड है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन UP 93BD 0670 की तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र संख्या 34C2/22 के अनुसार वाहन का हेड लाइट, मीटर, अगला मडगार्ड क्षतिग्रस्त है। आगे की नंबर प्लेट वा हैंडल बेंड है, भी दुर्घटना का समर्थन करती है। दोनो वाहनों के स्वामियों व चालकों ने अपने अपने अभिवचनों में इस दुर्धटना मे दूसरे की ही गलती बताते हैं किंतु न तो दोनो वाहन चालक परीक्षित कराए गए हैं न ही स्वामी। इन परिस्थितियों में मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक की उपेक्षा 90 प्रतिशत की है और उसमें 10 प्रतिशत की योग दाई उपेक्षा मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 के चालक की भी है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या 1 व 2 निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक पार सिंह की चालन अनुज्ञप्ति की छायाप्रति वाहन स्वामी व पार सिंह की ओर से प्रपत्र सं. 20C1/4 व 31C2 प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार पार सिंह दिनॉक 13.02.2018 से 31.12.2035 तक नान ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति तथा दुर्धटनाग्रस्त वाहन के चालन का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनॉक 12.07.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक पार सिंह के पास दुर्घटना के समय वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के स्वामी विपक्षी सं. 1 अशोक कुमार की ओर से पत्रावली पर प्रपत्र सं. 20C1/2 व 20C1/3 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार बीमित का नाम श्री अशोक कुमार है। बीमित अवधि अक्तूबर 14, 2017 से अक्तूबर 13, 2018 है। वाहन का मेक व मॉडल HONDA MOTOR CYCLE /

CD110 DREAM है। आर.टी.ओ. सिटी उत्तर प्रदेश–झाँसी है तथा वाहन रजिस्ट्रेशन दिनॉक अक्तूबर 14, 2017 है। विपक्षी सं. 1 अशोक कुमार की ओर से प्रस्तुत आर.सी. में HONDA MOTOR CYCLE / CD110 DREAM, रजिस्ट्रेशन नंबर UP 93BA 2476, स्वामी अशोक कुमार तो अंकित है परन्तु वाहन रजिस्ट्रेशन दिनॉक नवम्बर 11, 2017 है। प्रस्तुत बीमा प्रपत्र पर न तो इंजन नंबर व चेसिस नंबर अंकित है और न ही रजिस्ट्रेशन नंबर। आर.सी. व बीमा प्रपत्र पर स्वामी के पते भी भिन्न हैं। इस प्रकार बीमा प्रपत्र आर.सी. से कनेक्ट नही होते हैं अत: वाद बिन्दु सं. 4 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

14. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>

चूंकि इस दुर्घटना मे याचीगण के पुत्र की मृत्यु हुयी है व PW1 ने याचीगण को मृतक पर निर्भर होना बताया है, अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि किस विपक्षी से और कितनी कितनी? वाद बिन्दु सं. 1 व 2 मे यह निश्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है कि इस दुर्घटना मे मोटरसाइकिल नंबर UP 93BA 2476 के चालक की 90 प्रतिशत उपेक्षा व मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 के चालक 10 प्रतिशत की योग दाई उपेक्षा रही है। मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 के चालक की चालन अनुज्ञप्ति प्रपत्र सं. 25C1/3 की छाया प्रति का खंड़न किसी पक्षकार द्वारा नही किया जा सका है और यह दुर्धटना के समय वैध एवम् प्रभावी (नान ट्रांसपोर्ट 27/02/2015 से 26/02/2035) भी थी। मोटरसाइकिल नंबर UP 93BD 0670 के प्रस्तुत बीमा प्रपत्र सं. 25C1/2 की छाया प्रति का खंड़न किसी पक्षकार द्वारा नही किया जा सका है और इसके अनुसार दुर्घटना के समय बीमा प्रभावी (28/05/2018 से 27/05/2019) था। अत: 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 4 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है। चूंकि वाद बिन्दु सं. 1 सकारात्मक रूप से व 2 नकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः विपक्षी सं. 4 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का क्षतिपूर्ति का दायित्व 10 प्रतिशत है और विपक्षी सं. 1 अशोक कुमार व विपक्षी सं. 5 पार सिंह का क्षतिपूर्ति का दायित्व 90 प्रतिशत संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से है।

15. <u>क्षतिपूर्ति की गणना–</u>

PW1 जो कि हितबद्ध साक्षी है ने मृतक द्वारा गृह कार्य में हाथ बटाने से ₹6,000 की बचत प्रतिमाह होना कहा है किंतु इस संबंध में न ही कोई स्वतंत्र साक्षी है और न ही बचत का कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मृतक कक्षा 9 का छात्र था। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था <u>Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 – SC)</u> : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्तम न्यालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था <u>Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 — ALLHC)</u> : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्यालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है और पूरे माह गृह कार्य में हॉथ बंटाया जाना भी संभव नहीं है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹165 निर्धारित की जाती है।

16. PW1 ने मृतक की आयु 16 वर्ष बतायी है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मे मृतक की आयु 16 वर्ष अंकित है। हलॉकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयु का निश्चायक सबूत नहीं होती है

MACT JHANSI

तो भी चूॅकि PW1 ने मृतक की आयु 16 वर्ष बताई है जिसका खंडन नहीं हो सका है अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं की मृतक की आयु 16 वर्ष की थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 18 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, मृतक अविवाहित था अत: स्वयं के खर्च पर 1/2 भाग की कटौती, याचीगण के पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत संपदा की क्षति के लिए ₹15,000, याचीगण की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत दाह संस्कार के लिए ₹10,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			2	41580
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				41580
गुणक			18	748440
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			0	748440
संपदा की क्षति			15000	763440
अंतिम संस्कार पर खर्च			10000	773440
प्रथम वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			10	**77344**
द्वितीय वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			90	**696096**
कुल देय क्षतिपूर्ति			100	**773440**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹7,73,440 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। दोनो याचीगण के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का 50-50 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/SC/1949/2009 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना भी न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 4 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹77,344 (सतत्तर हजार तीन सौ चवालीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए तथा विपक्षी सं. 1 अशोक कुमार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹6,96,096 (छ: लाख छियानवे हजार छियानवे) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड व विपक्षी सं. 1 अशोक कुमार व विपक्षी सं. 5 पार सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दे।

याचीगण क्षतिपूर्ति धनराशि का आधा-आधा भाग प्राप्त करेगें तथा उनमे प्रत्येक की धनराशि का 80% भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जांएगे जिसका प्रतिमाह ब्याज याचीगण प्राप्त करते रहेंगें। याचीगण

की इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात धनराशि पुनर्निवेशित की जा सकेगी। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वयं वहन करेंगें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 24.02.2020 (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 24.02.2020 (चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

MACT JHANSI